संख्या-25/2021/I/90961/2021/71-4002(002)/3/2021-4-

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के गैर वेतन मद में तृतीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा.अ.स./वित्त/2021/137, दिनांक 06.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-0371 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख में से दिनांक 08.04.2021 एवं दिनांक 07.06.2021 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1000.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्र संख्या-रा.अ.स./वित्त/2021/137, दिनांक 06.08.2021 के साथ उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के दृष्टिगत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा को 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपया पॉच सौ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4- स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
5- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे ।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,ग्रेटर नोएडा।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
7- नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0शासन।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।